रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 1982/पौष 17, 1903
No. 9] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 1982/PAUSA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचना स. 3-आई टी सी (पी एन)/82

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1982

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय :— नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन विस्तार परियोजना-चरण 2 के लिए 7.0 बिलियन येन के ओ.ई सी एफ ऋण समझौते के अंतर्गत माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंस शर्तें ।

फा. सं. आई पी सी/23(23)/81.—नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन विस्तार परियोजना, चरण-2 के कार्यान्वयन के लिए येन 7.0 बिलियन के ओ ई सी एफ ऋण समझौते के अन्तर्गत माल एवं सेवाओं के आयात के संबंध में आयात लाइसेंस जारी करने से संबंधित जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, उन्हें जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 3-आई टी सी (पी एन)/82, दिनांक 7 जनवरी, 1982 का परिशिष्ट

आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (आ. प्रा. रा. वि. बो.) की नागार्जुन सागर हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन विस्तार परियोजना (चरण-2) के कार्यान्वयन के लिए 7 बिलियन येन के येन ऋण के अंतर्गत माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंस शर्तें ।

खंड-1 सामान्य शर्तें

1(1) आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (आ.प्र.रा.वि.बो.) की नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन विस्तार परियोजना (चरण-2) की आयात आवश्यकताओं को वित्तदान करने के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ. ई.सी.एफ.) द्वारा प्रदान किया गया, 7 बिलियन येन का ऋण भारत और जापान सहित अन्य विकासशील देशों के लिए खुला है । तद्नुसार, इस क्रेडिट के अधीन अभिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं । वे देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र स्त्रोत देश होंगे ।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महा-निदेशालय, तकनीकी विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा

विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो । इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सों) का मूल्य येन 7.070 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए ।

आयात लाइसेंस का रूपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 78-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा । जिसमें यह उल्लेख है कि सीमाशुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सों) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे । लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं. आई डी पी-13" होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जे सी" कोड होगा । आ. प्र. रा. वि. बो. को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए ।

1(3) लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल आ.प्र.रा. वि.बो. के नाम लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

1(4) आ.प्र.रा.वि.बो. की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाईसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं । लेकिन, कुल मूल्य येन 7.070 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसाकि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है ।

1(5) आयात लाईसेंस की वैधता में वृद्धि (आ.प्र.रा.वि. पी.) द्वारा आवेदन करने पर 31-12-85 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो उसके लिए आवेदन आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए ।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित संलग्न माल और सेवाओं की सूची तक प्रतिबंधित है ।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्त्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्त्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे ।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए । बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय होगा । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस-धारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो । विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या भारतीय अभिकर्त्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है ।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू. ई.-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते है । यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नर्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे । लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गरन्टी साख पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकारपत्र तुल्य रुपया जमा करने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे ।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं । माल के पोतलदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद आधार पर अर्थात पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए:—

"साख-पत्र की प्राप्ति के बाद . . . . . महीने परन्तु अधिक से अधिक . . . . . .

के अन्त तक पूर्ण किया जाना है ।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-1985 के बाद की न हो ।

खण्ड-2 सम्भरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्त्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए ।

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए ।

2(2) ओ.ई.सी.एफ येन क्रेडिट(परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं । लेकिन, साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:—

(क) बोली लगाने के लिए निमंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति करने पड़ेंगे ।

(ख) बोली के बांड या बोली लगाने की गारंटी की सामान्य आवश्यकता है, परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले हतोत्साहित हो जाएं ।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथा शीघ्र बोली बाण्ड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिएं ।

2(3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित वैकल्पिक क्रियाविधि अपनाएगी:—

(क) जहां आयातक के पास विश्वासनीय कारण हों या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखना हो ।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो ।

(ग) जहां अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न ले या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण हों ।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपात अधिप्राप्ति के मामले में ।

ऊपर संकेतित मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनाई जाए । जिससे जहां तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :—

(1) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना ।

(2) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति ।

(3) एक संभरक से सीधा क्रय विशेष कारण, औचित्य लगाने वाली बोलियों के ।

किन्तु, यदि यह प्रस्तावित किया जाए कि ऋण की रकम में से वित्तदान किए जाने वाले माल और सेवाओं के लिए औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाई जाए तो निधि को, अधिप्राप्ति तरीके (तरीकों) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधिवत प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा आवेदन पत्र भेजकर जिसमें उसके औचित्य भी दिए हों, निधि की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी ।

माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोली आमंत्रित करने से पहले आयातक निधि की बोलीकारों के लिए सभी सूचनाएं और अनुदेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टिकरण और ड्राइंग और बोली लगाने से सम्बन्धित सभी अन्य दस्तावेज उसके अनुमोदन के लिए भेजेगा ।

निधि का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र/दस्तावेज आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को तीन प्रतियों में भेजे जाने चाहिएं ।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1980-81 के लिए ओ. ई. सी. एफ. येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आईजीपी-13 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात् जिस विदेशी संभरक को भुगतान

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए । लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

2(6) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्त्रोत देशों और पात्र स्त्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित वैध व्यक्ति होंगे ।

2(7) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल में (पात्र स्त्रोत देश) उत्पादित है ।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्त्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100"$$

और

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि (पात्र स्त्रोत देश का नाम) में (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्त्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है ।"

2(8) अपात्र स्त्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्त्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मदवार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100"$$

खण्ड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेको में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए:—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच एपीएमईबी के नागार्जुन सागर हाइड्रो इलैक्ट्रिक विस्तार परियोजना (चरण-2) के लिए येन क्रेडिट आईडीपी-13 (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित 15 अक्तूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(ख) संभरको को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं., आईडीपी-13 से सम्बन्धित 15 अक्तूबर, 1981 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों ।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोत लदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक का प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्योरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड-4 विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ.ई.सी.एफ.) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर एपीएसईबी और विदेशी संभरकों, दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरको द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हो या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग-वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषयवस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों पर उनकी कीमतों पर भी लागू होगी ।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, एपीएसईबी के नागार्जुनसागर हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन विस्तार परियोजना (चरण-2) के लिए येन क्रेडिट सं. आईडीपी-13 (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि(ओईसीएफ) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा ।

खण्ड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान साख पत्र क्रिया विधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि(ओईसीएफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग- जापान अनुभाग द्वारा एपीएसईबी और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, को उसकी सूचना दे दी जाएगी । उसके बाद एपीएसईबी को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी.ए.ए. एंड ए. कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकारी पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए । सी.ए.ए. एंड ए. संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा । जो संबद्ध विदेशी संभरक के नाम में वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबंध-5 के रूप में या (सेवाओं के लिए) अनुबंध-6 के रूप में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए । प्राधिकार पत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि) (ओईसीएफ), भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी ।

5(1) प्राधिकारपत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओईसीएफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा ।

सी.ए.ए. एंड ए. से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख-पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी ।

5(3) माल की पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख-पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरो के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा ।

5(4) साख-पत्र के अंतर्गत सौदे तय करने के लिए खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो विदेशी संभरक बैंकर के प्रभारों के लिए विदेशी संभरक द्वारा किए जा उनका भुगतान आयातक द्वारा नहीं किया जाएगा । विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के, भुगतान की तिथि से ओईसीएफ द्वारा प्रति पूर्ति की तारीख तक की अवधि के लिए अदा किए जाने योग्य ब्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ह

सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा ।

खंड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर को परक्राम्य जहाजरान दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चित करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर गया है । येन भुगतान के समतुल्य रुपए पर ब्याज की दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक और उससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक होगी जो बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और सार्वजनिक सूचना सं. 46-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी । यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात् जिस विदेशी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया गया है, का ब्याज लिया जाएगा। देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या 103-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-1974.

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 109-आईटीसी(पीएन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं. 8-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाए वह ''के डिपोजिट्स एंड एडवान्सिज, 343 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिज एक्स्ट्रा एबरोड अंडर क्रेडिट्स लोन एग्रीमेंट'' लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान—7 बिलियन येन क्रेडिट सं. आईडीपी-13 फार नागार्जुन सागर हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर स्टेशन विस्तार परियोजना होना चाहिए ।

6(2) ऊपर लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं. 184 आईटीसी(पीएन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आईटीसी(पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए ।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए । चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पी एन)/71, दिनांक 5-20-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी(पीएन)/74, दिनांक 21-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम ''धनपरेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे'' में निरापवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरापवाद से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं ;

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि ;

उसके पश्चात सी.ए.ए. एंड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा तोल परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी.ए.ए. एंड ए. को भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पणी:— भारत में आयातक बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरापवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी.ए.ए. एंड ए., वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर लिया जाएगा ।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित ''एम'' प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए ।

खंड-8 विविध व्यवस्थाएं

8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

8(2) संभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी का आयात लाइसेंस में दिए गए, किसी उन विशेष उपबंधों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालती है ।

8(3) **विवाद**

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी । भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-3 में ''भुगतान की शर्तें'' के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए ।संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्व व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए ।

8(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ सकने होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) सं. आईडीबी-13 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक निगम निधि, जापान (ओ.ई.सी.एफ.) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा ।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त खंडों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

8(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबंध-1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन
3. अनुबंध-3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबंध-4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबंध-5 साखपत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबंध-6 साखपत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध 1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ओ० पी० ई० सी० से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा
मिस्र
मोरोको
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
अंगोला
बोत्सवाना
बरुण्डी
कैमेरन
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र
चाड
कमोरो द्वीप समूह
कांगों डाहिमें का गणतंत्र
भूमध्य गिनी (1)
इथोपिया
जाम्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
केनिया
लेसोथे
लाइबीरिया
मालागासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारिसेनिया मारीशस
मुजाम्बीक
नाइगरा
पुर्तगाली गिनी
रियुनियन
रोडेशिया
रवाण्डा
सेंट हेलिना और खेम (2)
साओटोम और प्रिन्साइब
सेनेगाल
सेचालीज
सियरा लिओन
सोमालिया
सुडान
स्वाजी लैण्ड
टेरी आफर्स और इस्सास
टोंगो
युगांडा
तंजानिया संयुक्त गणतंत्र
अपर वोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जांबिया

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय
बाहमस
बारबाडोस
बेलीज
बेरमुड
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकान गणतंत्र
ई० आई० साल्वेडोर
ग्वाटे लोप
ग्वाडे माला
हेती
होण्डूरस
जमैका
मार्टिनिका
मैक्सिको
नीदरलैण्ड एनटिलीज
निकारागुआ
पनामा
सेंट पियरों और मिक्योलोन
ट्रिनिडाड और टोबेगो
वैस्ट इंडीज (शाख एनआईई)
(क) संबंधित राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरीका
अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलंबिया
फाल्कलैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसीसी गिनी
गुयाना
पराग्वेपेरु
सुरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटेड अरब अमीरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी० आर० (4)

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रवेश, फरनेंडों पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
असेशन, ट्रिस्टन डा इन एसोसिबिलिटी, नाइटिंगेल्स गल्फ

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरब, बोनेरे क्युराकाओ साहा, सेंट मारटिन (दक्षिणी भाग)

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बांग्ला देश
भूटान
बर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया
बरुनी
हांगकांग
खूमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया
कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पॉलिनेशिया (5)
नौरु
न्यूकलेडोनिया
न्यू हेब्रीसिल हेसिसेस (ब्रा० और पे०)
नियू
पेसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य)
पापूवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा०)
टोंगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समाओं

9. यूरोप
साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप समूह एंटिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनाडा, सेंट किट्टस (सेंट किटफि), नेविस-एग्मियुला, सेंट लुसिया और सेंट विंसेंट

(2) मुख्य द्वीप समूह, मोंत्सेरात, सेगान, तुर्कस और काईकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह।

(3) अजमान, दुबई, फुजाइरह, रास अल खेमाह, शारजाह और उम अल क्वैन।

(4) अदन और विभिन्न सुलतनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) का शामिल करते हुए आस्ट्राल द्वीप समूह टुआमोटू गाम्बीअर ग्रुप और मालेसस द्वीप समूह.

(6) पेसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कोरोलीन द्वीप समूह मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (भाग को छोड़कर)

(क-2) ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया	ईराक
बोलिविया	कुवैत
लिबियन अरब गणतंत्र	कातार
गेबान	सऊदी अरब
नाइजीरिया	अबुधाबी
इक्वेडोर	इंडोनेशिया
वेंजुएला	
ईरान	

अनुबन्ध 2

ओ०ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए मुख्य मार्ग दर्शन

1 विज्ञापन

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति होना चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

2 बोली के दस्तावेज और संविदाएं

2.1 बोली बाण्ड और गारंटियां

बोली बांड या बोली की गारंटियां असाधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साह हो जाएं। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बोली बांड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

2.2 संविदा की शर्तें

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निदेशन बिंदुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपर्युक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और आकार

संविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मदों के या एक मुश्त कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के रूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यत: आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं। इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करे तो वे स्वीकार्य हैं।

3.4 पात्र संभरक

वे नियमिक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान ऋण की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है), पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे :--

(1) अभिदान के लिए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।

(2) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।

(3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन कंडिकाएं

बोली दस्तावेजों में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन का उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्राय: शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्राय: नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग निर्देशन बिंदु उन विभिन्न उपायों के परिचय का अभाव नहीं कराती है जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) बीमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फंड को स्वीकार्य है।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं/हम एतद्द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी/हमारी कंपनी पात्र संभरक है क्योंकि शेयरों का ..... प्रतिशत (%) ..... (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है और ..... प्रतिशत ( ) निदेशक ..... (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिक है और मेरी (हमारी) कंपनी ..... (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4.1 मानदंड

यदि उन राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदंड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापदंडों को कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदंडों का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 ब्राण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ब्रांड नाम, सूची, संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्य-वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

4.3 गारन्टी निष्पादन बांड और रखी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेजों में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा/निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेके में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त की जानी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि की बोली को दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि का कुल भुगतान की दर मानना और इसके अंतिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होना चाहिए। लेकिन यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि को लिए ही होना चाहिए।

चुकाई जाने वाली क्षति

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा राजस्व की हानि या अन्य मामों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से संबंद्ध प्रावधान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो, तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उप हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेजयोर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की जानी है।)

7. झगड़ों का निपटान

झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होनी चाहिए।

8. भाषा की व्यवस्था

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोलीके दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9.1 बोलियों के आमंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमति समय अधिकार संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहां पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली-भांति देखभाल करने के लिए आम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किंतु अनुमति समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रिया-विधि

बोलियों की अंतिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए निधि समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकारों का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धन राशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खुलने के पश्चात किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरण को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े, आवश्यक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के सारांश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहनी चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रिया-विधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो कि इन क्रियाविधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जांच

बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में त्रुटि संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेजों बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलियों सामान्यतया अन्यथा रूप से सही हैं, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

9.6 बोलीकार की पूर्ण योग्यताएं

पूर्ण योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि इस बोलीकार के पास संबद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए समंजित बोली कि कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य-कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदंड के अनुसार रुपए पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें मूल्य आंका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना

बोली दस्तावेजों में सामान्यतया यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए तब औचित्य देने चाहिए जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृत सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य-वस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

अनुबंध-3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

सं० ·········दिनांक ······

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001

विषय— येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत जापान से ·········का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अधीन ——————————से——————————जो कि——————————————————के आयात के संबंध में———(बैंकों का नाम) जो कि वहीं होना चाहिए जो नीचे (ढ) में संबद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साखपत्र खोलने के लिए दिया गया है को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके————————क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय ही तो उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोतों देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)।

(झ) वास्तविक लागत बीमा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :-

(1) राष्ट्रिकता

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेयरों का प्रतिशत ।

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास स्थान ।

(4) उन निवेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं ।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए) ।

(ण) पोतलदान अनुदेश वाहनांतरण/पार्ट शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत आईसीएफ को इसे अधिसूचित किया गया है ।

अनुबन्ध-4

(प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र)

संख्या एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक ——

सेवा में,

बैंक ऑफ इण्डिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय :— येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं० . के अधीन आयात साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 23-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री —— ———— के नाम में ———— येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक ओ० ई० सी० एफ० भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए ।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा । भुगतान के बाद ओ० ई० सी० एफ० की आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए ।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ० ई० सी० एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही ब्याज लिया जाएगा और उसका निर्धारण आपके द्वारा भारत में संबंधित आयातक बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना किया जाएगा । बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्चे भी शामिल हैं क्योंकि ये भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ० ई० सी० एफ० में नहीं किया जा सकता ।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साख-पत्र खोलने के लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख पत्र या साख पत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा ।

यह प्राधिकार पत्र———— तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

सेवा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ———— को उनके पत्र संख्या ———— दिनांक ———— के संदर्भ में ।

2. आयातक के बैंक ————उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से दस्तावेज प्राप्ति करने पर विदेशी संभरक को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आई० टी० सी० (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को आदायगी करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 46 आई० टी० सी० (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में जमा रुपया निक्षेप किया जाता है । और (यदि इस दर में कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जायेगी) । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सैट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है ।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 184 आई० टी० सी० (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68, संख्या-233 आई० टी० सी० (पी एन) 68, दिनांक 24-10-68, संख्या 132 आई० टी० सी० (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, संख्या -74 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और संख्या-103 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 843 विविध

डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा एण्ड परचेजिस अन्डर क्रेडिट लोन एग्रीमेन्ट 1980-81 के लिए बिलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी-13 फ्रेम दी गवर्नमेंट आफ जापान से ऋण" है ।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनकी चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं0 दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

यदि कोई हो तो, बैंक के खर्च, ब्याज और बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा के अन्य खर्चे (जिसमें विदेशी सम्भरकों के बैंकरों के खर्चे भी शामिल हैं) भारतीय बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा के बीच सीधे ही भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से तय किए जाएंगे ।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकबसी ययूडी बिल्डिंग, 4-1, ओहाटमेची-1-कोमे, चियोडा-कू टोकियो-100, जापान ।

4. भारतीय दूतावास टोकियो

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखा अधिकारी

अनुबंध-5

(ओ० ई० सी० एफ० एल० सी०-1प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(माल के लिए लागू)

सेवा में, दिनांक ————

प्रिय महोदय ————	यह साखपत्र (श्रेणी) और विदेशी
————	आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण
(संभरक का नाम और पता)	करार सं० ————
	के दिनांक ————
	के अनुसरण में जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० ·········· खोल दिया है जो ··· ······ येन (······ ··· ···· येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाता है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोतलदान बिल जिनमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फेट" एवं नोटिफाइ"

अन्य दस्तावेज जिसमें ·············· से ············ तक लदान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा संख्या ··········· (यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है यानान्तरण स्वीकृत है ।

पोतलदान बिल जो ········· से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए । आदेशों को ड्राफ्ट ············ 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए । "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० ········ दिनांक ········ 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है ।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशों को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकुमेन्ट्स क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं० 290" के अधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :—

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए नए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे ।

2 सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा ········· को भेज दिए गए हैं ।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक संभरक के लेखे के लिए हैं ।

भवदीय,

(············)

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा ··· ··········

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साखपत्र सं० ·········· का अभिन्न अंग है ।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि ..... येन जो कि कुल संविदा मूल्य के ..... प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि ..... येन जो कि कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत है ।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि ..... येन सौदा के कुल मूल्य का ..... तिशत है ।

टिप्पणी:—पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ।

अनुबंध-6

(प्रपत्र ओ० ई० सी० एफ० एल० सी०-2)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

सेवा में,

दिनांक .....

..... यह साख-पत्र ऋणी और विदेशी
..... आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए
..... करार सं० .....
(संप्रेषक का नाम व पता) दिनांक ..... के अनुसरण में जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं० .... खोल दिया है जो ये ..... (येन ..... पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा .... और परियोजना .....) से सम्बन्धित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट ..... से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं० ..... दिनांक , ... के अन्तर्गत भुना लिए गए हैं, से चिह्नित होने चाहिएं ।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है ।

....

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम ऐंड प्रैक्टिस फार डाकूमेन्टरी केडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, नं० 290 के अधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :

इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए । प्रारंभिक भगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाय लाभकारी विवरण की आवश्यकता है ।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचन वद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते हैं ।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएगें ।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे संप्रेषकों को लेखे के लिए हैं ।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची :

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं० ———— का एक अभिन्न अंग है ।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि ..... येन

कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज: लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि ..... येन

कुल संविदा मूल्य का ..... प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

देय धनराशि	अन्तिम भुगतान तिथि
येन	.....
पहली किस्त येन	.....
दूसरी किस्त येन	.....

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है ।

निष्पादन का विवरण

दिनांक .....

संदर्भ .....

सेवा में,

.....
.....
.....

(संप्रेषक का नाम और पता)

संदर्भ: ऋण करार सं० ..... के अन्तर्गत ..... परियोजना से सम्बन्धित ..... के नाम में .....

येन के लिए ..... द्वारा जारी किए गए साखपत्र की सं० ..... दिनांक ..... मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋण) एतद्द्वारा ..... और ..... के बीच समझौता सं० ..... दिनांक ..... में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा ..... की धनराशि (..... येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं ।

(.....)
(ऋणी)

द्वारा .....
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश .

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में बताया जाएगा ।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 3-ITC(PN)/82

New Delhi, the 7th January, 1982

IMPORT TRADE CONTROL

Subject :—Licensing conditions in respect of import of goods and services under the OECF Loan agreement of Yen 7.0 Billion for Nagarjunasagar Hydro Electric Power Station Expansion Project-Stage-II.

F. No. IPC/23(23)/81.—The terms and conditions governing the issuance of Import licences in respect of import of goods and services under the OECF Loan agreement of Yen. 7.0 Billion for the implementation of Nagarjunasagar Hydro Electric Power Station Project—Stage-II as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

(MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 3-ITC(PN)/82 DATED THE 7TH JANUARY, 1982

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF YEN SEVEN BILLION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NAGARJUNASAGAR HYDRO ELECTRIC POWER STATION EXPANSION PROJECT (STAGE-II) OF THE ANDHRA PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD (APSEB).

Section-I :—General conditions :

I(i).—The Yen credit of Y 7 Billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Nagarjunasagar Hydro Electric Power Station Expansion Project (Stage-II) of the Andhra Pradesh State Electricity Board (APSEB) is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii).—Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/OG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Y 7,070 million (CIF).

The rupee value of the I/L shall be determined with ref. to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the I/L and indicated in the body of the Import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dt. 6-6-74, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 13". The first and 2nd suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to APSEB a copy of wihch should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii). Import Licence(s) can be issued only in favour of APSEB on C.I.F. basis.

I(iv). Depending on the convenience of APSEB more than one I/L may be issued under this credit, but the total value must not exceed Y 7,070 million (CIF) as specified at (i) above.

(I)(v) The extension of the validity of the I/L may on application by APSEB, be granted upto 31-12-85. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi). Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the I/L duly attested by the Licensing Authorities.

I(vii). No remittance of foreign exchange will be permitted against the I/L. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii). Firm order must be placed on C & F basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan section) within 4 months from the date of issue of the I/L. Insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licencee on the Overseas supplier duly signed by the letter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix). This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan section) within four months from the date of issue of the I/L. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licencee should submit the I/L to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the I/L such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan section), Ministry of Finance, North block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee. Only on production by the licencee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will be authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the I/L.

I(x). All payments must be completed within 4 months from the expiry of the I/L. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian Importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-85.

Section-II: Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i). The C & F value of the contract should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii). The main guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in atleast one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II (iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :

(a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b)&(c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate.

(i) Formal Selective International Tendering.

(ii) Informal International Competitive Procurement.

(iii) Direct purchases from a single supplier.

However, prior approval of the Fund shall be obtained if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the Loan, submitting to the Fund an application for approval of procurement method(s) signed by a duly authorised person together with its reasoning.

Prior to inviting bids for the procurement of goods and services, the importer shall submit to the Fund for its approval copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding.

The application|documents should be sent in triplicate to the Department of Economic Affairs (Japan section) for obtaining the approval of the Fund.

II (iv) The payment to the Overseas supplier should be arranged through an irrevocable L|C to be opened by the Credit of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 13 for 1980-81 the details of which are given in Section VI below.

II (v) Only one contract should be entered into against the I|L. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the Import Licence.

II (vi) Elegibility of supplier : Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II (vii) Declaration in contract : The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in ———(eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than 30% in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF perice} + \text{Import duty}}{\text{Supplier's FOB price}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that———(Name of company) has been incorporated and registered in——— (Name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II (viii) Permissible imports from non-eligible source countries :

Financing of goods which contain material originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than 30% on an item-by-item basis in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF price} + \text{Import duty}}{\text{Suppliers FOB price}} \times 100$$

Section-III : Conditions to be incorporated in the supply contracts

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the loan agreement between the Govt. of India and the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) dated the 15th October 1981 concerning the Yen Credit No. ID-P. 13 (Project Aid) for Nagarjunasagar Hydro Electric Project Expansion Scheme (Stage-II) of APSEB and will be subject to the approval of Govt. of India and the OECF.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable L|C to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P. 13 dt. 15-10-81 between the Govt. of India and the OECF. Japan.

(c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Govt. of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificate (triplicate) in the forms indicated in II(vii).

III (ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India atleast six weeks in advance of the shipping

required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian Importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section-IV : Contract approval by OECF :

IV (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licencee should forward 4 copies of the contract duly signed by both APSEB and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid I/L to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV (ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV (iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P. 13 (Project Aid) for Nagarjunasagar Hydro Electric Power Station Expansion Project (Stage-II).

Section-V : Payment to the Overseas suppliers—Letter of Credit procedure :

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan section, APSEB and the CAA &A will be informed of the same. Whereafter the APSEB should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a Letter of Authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable L/C as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the Overseas supplier concerned. Copies of the letter of authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the Importer's Bank in India, and Japan section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable L/C as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the Overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the Importer's Bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/ letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods present through his bankers the documents specified in the L/C to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V (iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the L/C for negotiations thereunder and charges, if any, of overseas supplier's banker and interest charges payable to the Bank of India, Tokyo, for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Govt. of India's account.

Section-VI : Responsibility for rupee deposit :

VI (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or SBI, Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. Interest charges on the rupee-equivalents of the Yen payments calculated @ 9 per cent per annum for the first 30 days and @ 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Overseas supplier to the date of actual rupee deposit, have also to be deposited along with the principal payment, in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dt. 16-6-76. It should be noted that interest is chargeable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the day on which rupee deposit is made in Govt. account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dt. 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/74 dt. 12-10-76.

The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dt. 3-8-74 and No. 8-ITC(PN)/76 dt. 17-1-76 or as may be notified by Govt. from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control circulars of the RBI. The Head of account to which the above rupee deposits should be credited is "K-deposits and advances—843—Civil deposits Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/ Loan agreements" Loans from the Govt. of Japan—7 Billion Yen Credit No. ID-P. 13 for Nagarjunasagar Hydro Electric Power Station Expansion Project (Stage-II).

VI (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Govt. either in the RBI, New Delhi or SBI, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dt. 30-8-68, No. 233-ITC(PN)/68 dt. 24-10-68, No. 132-ITC(PN)/71 dt. 5-10-71, No. 74-ITC(PN)/74 dt. 31-5-74 and No. 103-ITC(PN)/76 dt. 12-10-76.

VI (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on account of service charges within 7 days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/thier bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dt. 5-10-71 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the Chalian. The following particulars should invariably be furnished in the treasury challans.

(a) Ministry of Finance Letter of Authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury challans evidencing the rupee deposit should be sent by Regd. post to the CAA&A indicating ref. to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

NOTE : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA) New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI (iv) The concerned Bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licencee and send the requisite 'S' form to the RBI, Bombay.

Section-VIII : Miscellaneous provisions :

VIII (i) Reports on the utilisation of the Import Licence :

The Importer should send a monthly report, after the L/C has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the CAA&A.

Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank 6, Parliament Street, New Delhi.

III (ii) Notifying suppliers of Special conditions : The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the I/L which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII (iii) Disputes : It should be understood that the Govt. of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII (iv) Future instructions : The licencee shall promoptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Govt. of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the I/L and for meeting all obligations under the Yen credit agreement (Project Aid) No. ID-P. 13 with the OECF Japan.

VIII (v) Breach or violation : Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures :—

Annexure-I	List of eligible source countries.
Annexure-II	Broad guidelines for procurement.
Annexure-III	Request for issue of letter of authority.
Annexure-IV	Form of Letter of Authority.
Annexure-V	Form of L/C (applicable to physical Imports)
Annexure-VI	Form of L/C (applicable to services).

ANNEXURE—I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara
- Egypt
- Morocco
- Tunisia

II. AFRICA, South of Shahara
- Angola
- Botswana
- Burundi
- Camereon
- Cape Verde Islands
- Central African Rep.
- Chad
- Comoro Islands
- Congo, People's Republic of Dahemay
- Equatorial Guinea (1)
- Ethiopia
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Ivory Coast
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Malagasy Republic
- Malawi
- Mali
- Mauritania, Mauritius
- Mozambique
- Niger
- Portuguese Guinea
- Reunion
- Rhodesia
- Rwanda
- St. Helena and dep (2)
- Sao Tomo and Principe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudan
- Swaziland
- Terro. Afars and Issas
- Togo
- Uganda
- Un. Rep. of Tanzania
- Upper Volta
- Zaire Republic
- Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the Islands of Fernando PO.

(2) Including the following islands : As cension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands , Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

III. AMERICA, North and Central
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Costa Rica
- Cuba
- Dominican Republic
- El Salvador
- Guadeloupe
- Guatemala
- Haiti
- Honduras
- Jamaica
- Martinique
- Mexico
- Netherlands in Tilles
- Nicaragua
- Panama
- St. Pierre & Miquelon
- Trinidad and Tobago
- West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)

(b) Dependencies (2)

(1) Main Islands : Antigue. Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Carlstophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

IV. AMERICA, South
- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Faikland Islands
- French Guiana
- Guyana
- Paraguay
- Peru
- Surinam
- Uruguay

V. ASIA, Middle East
Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East
Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA
Coek Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

XI. EUROPE
Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(3) Ajman, Dubai, Fujairah Ras al Khaimah, Sharjah and Ummal Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islsnds, Marshall Islands, and Marine Islands (Except Guam).

1185 GI/81—3

(a2) Member or Association Countries of OPEC
Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE-II

Main guidelines for procurement of goods and services under the Project Loan as formulated by OECF

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts

II-1. Bid Bonds or Guarantees—Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidder as soon as possible after the bid have been opened.

II-2. Conditions of Contract.—The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer if one, if employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3. Type and Size of Contract.—Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible Suppliers.—Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

(1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,

2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries and

3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

.. Contract Price.—(a) The contract price should be d in Japanese Yen provided, however, that the portion the contract price which the contractor will spend in the oorrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses.—Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance.—The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as———percent (%) of the shares are held by nationals of————— (eligible source country), and————percent ( ) of the directors are nationals—————* been registered in———(eligible source country)".

IV-1. Standards.—If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names.—Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the later case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money.—Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payments to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

*(eligible source country) and my (our) company has

V. Liquidated Damage :

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure :

The expenditure of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure in the result of an oven of force Majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes :

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation :

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract :

IX-1. Time Interval between Invitation and submission of Bids.—The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2 Bid Opening Procedures—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids—No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened, only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential.—Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids.—Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or Contains in admissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders.—In absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the

capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids.—Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids.—Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specification or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract.—The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

Annexure-III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

NO. DATE :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub:—Import of from Japan under the Yen Credit No. (Project Aid)

Sir,

In connection with the import of ..... from ..... under the above mentioned Yen Credit No. (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the .....(name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned:—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based direct purchase or Formal Open International t dering in which case it should be indicated wl ther the contract has been awarded on the basis technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross CIF value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), If any

(i) Net CIF value (In Yen) for which the Letter of Authority is required

(j) Number and date of the contract with overseas suppliers.

(k) Name and address of the Overseas Supplier :

(i) Nationality.

(ii) Percentage of the shares held by Nationals.

(iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment of Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if transhipment/partshipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

Annexure-IV

(Letter of Authority Form)

NO. F.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject :—Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No.... .....Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank you are hereby authorized to open irrvocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen. ..... favouring M/s..... ..... as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

Interest charges payable to you for the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the dates of its reimbursement to you by the OECF, shall be settled by you with the concerned importers bank in India through normal banking channels without affecting the Govt. of India's accounts. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto.....

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to .

1. Importer .....with reference to their letter No. .....dated .....

2. Importers' Banker ..... They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9% per annum for the first thrity days and at the rate of 15% per annum for period in excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier/date of reimbursements to Bank of India and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is also required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e., the day on which payment is made to the Overseas Suppliers and also the date on which rupee deposit is made into Government Account. Any change in this rate will be intimated if and when made. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements"-Loans from the Government of Japan 7 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P13 for 1980-81.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi. or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Ist Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The Banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled directly between the Indian bank and the Bank of India Tokyo Branch, through normal banking channels without affecting Government of India's account.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Co-operation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE-V

Form OECF-LCI

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

To.....

(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has been issued pusuant to Loan Agreement No. ....., dated ..... between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. .....in your favour for account of .....for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y .....(say yen.....) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify .....

Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. (if any)) from to

Partial shipments are permitted. Transhipment is permitted.

Bills of lading must be dated not later than

Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under irrevocable credit No.....dated..... and Import Reference No.(s).....(if any)"

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honou-

red. on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No.290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to..............................

3. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier

Yours faithfully,

....
(a commercial bank)
By : ——————
(Authorised Signature)

ANNEXURE-VI
Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

Date :

To

———— ————

————————

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. ————, dated————, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.———in your favour for account of————for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y———— ————(Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to——— Project) Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No.———Dated————".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof

4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

————————
(a commercial bank)

By : ————————
(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. ————————

I. Initial Payment

Amount Y: ————
being————% of the total contract price
Required documents : beneficiary's Statement
Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : Y————————
being————% of the total contract price
to be paid as follows :

Amount due	Latest presentation date
1st Instalment : Y————	————
2nd Inslalment: Y————	————
....	....

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date : ————
Ref. No. ————

————————

————————

(Name and address of the supplier)

Re : Letter of Credit No.———— dated————
issued by————————
for Y———————— in favour of

———————— concerning ———————— Project under Loan Agreement No.————————

I, the undersigned, representing (Borrower) hereby issue a Statement of Performance to entitle———to receive the sum of Y————————(Yen————————only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No.———————— dated———————— between ———————— and ————————.

————————

(Borrower .

By : ————————

(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

PAYMENT TERMS :

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. ————————.

I. Initial Payment

Amount :Y————————
being————————% of the total contract price.
Required document
Latest presentation

II. Intermediate Payment (if any)

AmountY————————
being————————% of the total contract price.
Required documents :
Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : Y————————
being————————% of the total contract price.

NOTE:—This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982